न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (आई.ए.एस.)

अपील संख्या : 288/2023

तारीख रजू : 02.11.2023

निर्णय दिनांक : 15.05.2024

1. श्री भगवान उर्फ भगवान पुत्र बिशम्भरदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम सहारनवास रेवाडी हरियाणा।

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।

रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार नीमराना दिनांक 14.07.2023.

उपस्थितः–

01. श्री औमानन्द चौधरी –वकील अपीलान्ट

02. पैरोकार सरकार

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 14.07.2023 जिसके द्वारा प्रार्थना बेदखल किए जाने एवं लगान की 50 गुणा पैनल्टी वसूल किए जाने की आज्ञा से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली तहत तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि पटवारी हल्का नीमराना ने तहसीलदार नीमराना की अदालत ने रिपोर्ट पेश कि की आराजी खसरा नम्बर 209/640 रकबा 0.3004 है0 वाके ग्राम नीमराना ने 0.10 है0में बिना रूपान्तरण करवाये प्लॉटिंग का उपयोग किया है तहसीलदार नीमराना ने धारा 90ए/91 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया जिसका जवाब नोटिस पेश किया गया। आराजी खसरा नम्बर 209/640 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ पर मिन अपीलान्ट न किसी प्रकार की कोई प्लोटिंग नहीं की है एव ना ही कोई वाणिज्यिक कार्य किया जा रहा है। मिन अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि को कृषि कार्य हेतु ही उपयोग में लिया जा रहा है एवं उपरोक्त आराजी में एक पुख्ता कमरा बनाया हुआ है, जिसमें कृषि कार्य से संबंधित उपकरण रखने हेतु उपयोग में लिया जा रहा है, जबकि उक्त आराजी पर किसी तरह का कोई गैर कृषि कार्य अपीलान्ट द्वारा नहीं किया जा रहा है। परन्तु न्यायालय द्वारा मिन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस का अवलोकन नहीं किया गया। तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय खिलाफ तथ्य, कानून, मौका, रिकोर्ड प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व भूमि रूपान्तरण नियमों के प्रावधानों के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए, पारित किया गया हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाकर न्यायालय तहसीलदार नीमराना जिला

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड़ द्वारा का निर्णय दिनांक 14.07.2023 प्रकरण संख्या 07/2022 अंतर्गत धारा 90ए/91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान विभागीय पैरोकार सरकार का तर्क है कि अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 209/640 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड में प्लोटिंग बिना वैधानिक रूप से सक्षम स्वीकृति कर अकृषि में उपयोग में किया जाना प्रमाणित है जो पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट में भी उल्लेखित किया गया है जिससे राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए/91 का उल्लंघन किया है एवं भूमि रूपान्तरण संबंधी कोई सबूत/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। अतः दिनांक 14.07.2023 को पारित निर्णय सही तथ्यों के आधार पर किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 209/640 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड का उपयोग बिना वैधानिक रूप से सक्षम स्वीकृति के अकृषि कार्य हेतु किये जाने पर तहसीलदार नीमराना द्वारा दिनांक 14.07.2023 को पारित आदेश सही साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय पत्रावली में संलग्न किया जावें। निर्णय प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड
कोटपूतली–बहरोड